



गजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ गजियाबाद

(ISO 9001 :2015 एवं ISO 14001 :2015 प्रमाणित संस्था)

सूचना

चूंकि राज्य सरकार उपाध्यक्ष, गजियाबाद विकास प्राधिकरण, गजियाबाद विकास क्षेत्रान्तर्गत गजियाबाद महायोजना 2031 (पुनरीक्षित) में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम)—1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या—11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना जन सामान्य से प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव **उपाध्यक्ष**, गजियाबाद विकास प्राधिकरण, गजियाबाद विकास क्षेत्रान्तर्गत को संबोधित और लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	खसरा / गाटा संख्या	ग्राम का नाम	तहसील व जनपद का नाम	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु क्षेत्रफल (हे०)	गाजियाबाद महायोजना- 2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार भू-उपयोग	प्रस्ताव भू-उपयोग
1.	1944द	मंडोला	लोनी	1.4830 हे०	कृषि	मध्यम उद्योग (औद्योगिक)
2.	1944उ			1.4830 हे०		
कुल क्षेत्रफल				2.9660 हे०		

प्रमुख सचिव

ई-मेल : help@negda@gmail.com,  : @Gda Ghazilabad  : @gdagzb

हेल्पलाइन 0120-4418 384, व्हाट्सएप: 9990988004 वेबसाइट: www.gdaghazilabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प